

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल-



spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 38/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.02.2025

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 02.02.2025 को थाना सिधारी व थाना मुबारकपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 04 अन्तर्जनपदीय शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 20 लाख रुपये के कुल 16 डी0जे0 मशीन, 02 मूविंग लाइट, 20 मिनी स्पीकर व चोरी की घटना में शामिल 01 स्कार्पियो गाड़ी व 01 पिकअप गाड़ी बरामद किया गया है।

थाना-सिधारी

चोरी की घटना कारित करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह का हुआ पर्दाफाश

04 थानों की कुल 04 घटनाओं का सफल अनावरण, कीमत लगभग 20 लाख रुपये के चोरी किये गये कुल 16 डी0जे0 मशीन, 02 मूविंग लाइट, 20 मिनी स्पीकर व चोरी की घटना में शामिल 01 स्कार्पियो गाड़ी व 01 पिकअप गाड़ी के साथ 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

➔दिनांक 27.12.2024 को वादी राकेश गुप्ता पुत्र स्व0 रामबलि गुप्ता निवासी नरौली थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के डी0जे0 के मशीन व लाईट का सामान चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0494/2024 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 राजीव कुमार सिंह चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

➔आज दिनांक 02.02.2025 को उ0नि0 राजीव कुमार सिंह चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी मय हमराह व उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव चौकी प्रभारी लोहरा थाना मुबारकपुर मय हमराह के साथ शाहगढ़ जमुड़ी बार्डर पर मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक पिकअप व एक स्कार्पियो गाड़ी से कुछ लोग चोरी का सामान बेचने के लिए आजमगढ़ से मोहम्मदाबाद जाने वाले हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर शाहगढ़ मुबारकपुर मार्ग के पास एक स्कार्पियो वाहन संख्या UP50Q7374 व एक पिकअप नं0- UP50BT6186 को रोककर चार अभियुक्तों

1. शेरु चौहान पुत्र स्व0 लौटन चौहान निवासी ग्राम शेखपुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष,
2. सूरज कुमार उर्फ निरहु पुत्र बिजली निवासी सिकरौरा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष
3. सोनू उर्फ अन्नू सोनकर पुत्र बलेशर सोनकर निवासी ग्राम ओझौली थाना मुबारकपुर आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष
4. रितिक चौहान पुत्र संजय चौहान निवासी ग्राम सलेमपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

को समय करीब 04.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 16 डी0जे0 मशीन, 02 मूविंग लाइट, 20 मिनी स्पीकर, 01 स्कार्पियो गाड़ी, 01 पिकअप गाड़ी बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 112,317(2),317(4)बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0न्यायालय किया गया।

अपराध करने का तरीका-

➔गिरफ्तार अभियुक्त शेरु चौहान पुत्र स्व0 लौटन चौहान निवासी ग्राम शेखपुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ व सूरज कुमार उर्फ निरहु पुत्र बिजली निवासी सिकरौरा थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा पूँछताछ में बताया गया कि दिनांक 26.12.2024 की रात्रि में नरौली स्थित गुप्ता डी0जे0 की दुकान से हम लोग अपने साथी 1. सुधीर चौहान पुत्र पप्पू चौहान निवासी

भाटकोल थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, 2. रोहित चौहान उर्फ गुण्डा पुत्र रमेश चौहान निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़, 3. सचिन चौहान पुत्र रामहित चौहान निवासी सवरूपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ के साथ इसी स्कार्पियो से चोरी किये थे। चोरी किये गये सामान को आज बेचने जा रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

➡ अभियुक्त सोनू उर्फ अन्नू सोनकर पुत्र बलेशर सोनकर निवासी ग्राम ओझौली थाना मुबारकपुर आजमगढ़ व रितिक चौहान पुत्र संजय चौहान निवासी ग्राम सलेमपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा पूछने पर बताया गया कि दिनांक 05/06.01.2025 की रात्रि को हम अपने साथी सूरज कुमार उर्फ निरहु पुत्र बिजली निवासी सिकरौरा थाना कोतवाली आजमगढ़ व शेरु चौहान पुत्र स्व० लौटन चौहान निवासी ग्राम शेखपुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, सुधीर चौहान पुत्र पप्पू चौहान निवासी भाटकोल थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, रोहित चौहान उर्फ गुण्डा पुत्र रमेश चौहान निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़, सचिन चौहान पुत्र रामहित चौहान निवासी सवरूपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ व सुरेश सोनकर पुत्र सूर्यभान सोनकर निवासी गुलामी का पुरा थाना कोतवाली आजमगढ़ के साथ मिलकर थाना मेहनगर क्षेत्र के ग्राम देवरिया से डी०जे० के दुकान से डी०जे० की मशीन व अन्य सामान चुराये थे।

➡ अभियुक्त सूरज कुमार उर्फ निरहु पुत्र बिजली निवासी सिकरौरा थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा पूछताछ में बताया गया कि दिनांक 21/22.12.2024 को रात्रि में हम अपने साथी सुधीर चौहान पुत्र पप्पू चौहान निवासी भाटकोल थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, रोहित चौहान उर्फ गुण्डा पुत्र रमेश चौहान निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ के साथ थाना मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र से जमीन बरामदपुर में स्थित साउण्ड सर्विस की दुकान से डी०जे० मशीन व लाइट चोरी किये थे।

➡ अभियुक्त सोनू उर्फ अन्नू सोनकर पुत्र बलेशर सोनकर निवासी ग्राम ओझौली थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.12.2024 को थाना मुबारकपुर क्षेत्र के पैकौली मोड़ से हम अपने साथी सुधीर चौहान पुत्र पप्पू चौहान निवासी भाटकोल थाना मोहम्मदाबाद जनपद व रोहित चौहान उर्फ गुण्डा पुत्र रमेश चौहान निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ के साथ मिलकर डी०जे० के दुकान से मिनी स्पीकर व चैनल मशीन चुराये थे।

हम लोगो का एक संगठित गिरोह है। हम सभी लोग मिलकर चोरी करते हैं और चोरी किये हुए सामान को सस्ते दामों में ग्राहकों को बेच देते हैं व अपना जीवकोपार्जन करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण/आपराधिक इतिहास:-

1. शेरु चौहान पुत्र स्व० लौटन चौहान निवासी ग्राम शेखपुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष,

1. मु०अ०सं० 0494/2024 धारा 305,112,317(2),317(4) बी०एन०एस० थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. मु०अ०सं०- 08/25 धारा 331(4)/305,112,317(2),317(4) बी०एन०एस० थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

2. सूरज कुमार उर्फ निरहु पुत्र बिजली निवासी सिकरौरा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

1. मु०अ०सं० 0494/2024 धारा 305,112,317(2),317(4) बी०एन०एस० थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. मु०अ०सं०- 08/25 धारा 331(4)/305,112,317(2),317(4) बी०एन०एस० थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़
3. मु०अ०सं०- 448/24 धारा 305,112,317(2),317(4) बी०एन०एस० थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ

3. सोनू उर्फ अन्नू सोनकर पुत्र बलेशर सोनकर निवासी ग्राम ओझौली थाना मुबारकपुर आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष

1. मु०अ०सं०- 491/24 धारा 305,112,317(2),317(4) बी०एन०एस० थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. मु०अ०सं०- 08/25 धारा 331(4)/305,112,317(2),317(4) बी०एन०एस० थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

4. रितिक चौहान पुत्र संजय चौहान निवासी ग्राम सलेमपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

1. मु०अ०सं०- 08/25 धारा 331(4)/305,112,317(2),317(4) बी०एन०एस० थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

1. 16 डी०जे० मशीन
2. 02 मूविंग लाइट
3. 20 मिनी स्पीकर
4. 01 स्कार्पियो गाड़ी
5. 01 पिकअप गाड़ी

वांछित/फरार अभियुक्तों का विवरण:-

1. सुधीर चौहान पुत्र पप्पू चौहान निवासी भाटकोल थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ,

1. मु०अ०सं०- 14/24 धारा 380/41/413/457 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ

2. मु०अ०सं० 0494/2024 धारा 305,112,317(2),317(4) बी०एन०एस० थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0- 491/24 धारा 305,112,317(2),317(4)बी0एन0एस0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 08/25 धारा 331(4)/305,112,317(2),317(4) बी0एन0एस0 थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0- 448/24 धारा 305,112,317(2),317(4) बी0एन0एस0 थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ

2. रोहित चौहान उर्फ गुण्डा पुत्र रमेश चौहान निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़,

1. मु0अ0सं0- 14/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
2. मु0अ0सं0- 44/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 140/18 धारा 379/511 भादवि थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0- 14/24 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ
5. मु0अ0सं0- 330/19 धारा 379/411/413 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ
6. मु0अ0सं0 0494/2024 धारा 305,112,317(2),317(4) बी0एन0एस0 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0- 491/24 धारा 305,112,317(2),317(4)बी0एन0एस0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
8. मु0अ0सं0- 08/25 धारा 331(4)/305,112,317(2),317(4) बी0एन0एस0 थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़
9. मु0अ0सं0- 448/24 धारा 305,112,317(2),317(4) बी0एन0एस0 थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ

3. सचिन चौहान पुत्र रामहित चौहान निवासी सवरूपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 0494/2024 धारा 305,112,317(2),317(4) बी0एन0एस0 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

4. सुरेश सोनकर पुत्र सूर्यभान सोनकर निवासी गुलामी का पुरा थाना कोतवाली आजमगढ़

1. मु0अ0सं0- 14/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
2. मु0अ0सं0- 392/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 08/25 धारा 331(4)/305,112,317(2),317(4) बी0एन0एस0 थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

अनावरण अभियोगों का विवरण:-

1. दिनांक 17.12.2024 को थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-491/24 धारा-305,112,317(2),317(4) बी0एन0एस0
2. दिनांक 24.12.2024 को थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 448/24 धारा 305,112,317(2), 317(4) बी0एन0एस0
3. दिनांक 27.12.2024 को थाना सिधारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0494/2024 धारा 305,112,317(2),317(4) बी0एन0एस0
4. दिनांक 06.01.2025 को थाना मेहनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 08/25 धारा 331(4)/305,112,317(2),317(4) बी0एन0एस0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0चौकी मूसेपुर उ0नि0 राजीव कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
2. प्र0चौकी लोहरा उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव थाना मुबारकपुर आजमगढ़
3. कां0 मनोज यादव थाना सिधारी आजमगढ़
4. कां0 आदित्य कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
5. कां0 सतीश गौड़ थाना सिधारी आजमगढ़
6. कां0 नीरज कुमार यादव थाना मुबारकपुर आजमगढ़

